न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 38/2019 **दायरा दिनांक : 03.06.2019**

उनवान

बंशीदास आत्मज हदेवदास, जाति बैरागी, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1– कमला बाई पिता बंशीदास, पत्नी मांगूदास, जाति बैरागी, निवासी घटवाला पीपल्दा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– रेशम बाई पुत्री बंशीदास, पत्नी भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी गुराडिया देवडज्ञ, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– मोहन लाल आत्मज बंशीदास, जाति बैरागी, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– राधेश्याम आत्मज बंशीदास, जाति बैरागी, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

5– रामचन्द्र आत्मज बंशीदास, जाति बैरागी, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6– दुर्गादास आत्मज बंशीदास, जाति बैरागी, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7– भंवरदास आत्मज बंशीदास, जाति बैरागी, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (मृतक) डिलीट आज्ञा दिनांक 26.11.2019

.... अपीलांट

बनाम

1— ठाकुर श्रीराम मन्दिर बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ नाबालिग जरिये वली चन्दर सिंह आत्मज भैरू सिंह जी, जाति राजपूत व पर्वत सिंह आत्मज पूर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी बिलावली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या — 00098/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 विधि, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी रेस्पोडेंट को सरसरी तौर पर डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णित अपीलांट व रेस्पोडेंट की दो अपीले दिनांक 12.07.2010 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये थे — ''**उपर्यक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती**

हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2008 अपास्त किया जाता है, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण (अपीलांट) से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम करके नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । भंवरदास की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उनके कायम मुकामान को भी रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही की जाती है ।" अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की पालना नहीं करते हुए मृतक बंशीदास के कायम मुकामान को रेकार्ड पर नहीं लिये, ना ही अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत कर अवसर प्रदान किया, मनमाने तौर से केवल रेस्पोडेंट के साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय एवं कानून के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में गौर नहीं फरमाया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेंट ठाकुर जी श्रीराम मंदिर नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनको खातेदार घोषित करने मेंत्रुटि की है जबकि विवादित आराजी अपीलांट के पूर्वजों के खाते की भूमि है तथा मन्दिर का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है इसके बावजूद भी वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.01.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील खारिज की जाये ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 12.07.2010 की पालना नहीं की है । अतः अपील को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2010 की पालना की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा